संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : शुभम ग्रामोद्योग संस्थान
2. संस्था का पता : एम0 आई0 जी0 4 , सेक्टर –3, बर्रा–2 कानपुर
3. कार्यशाला का पता : ग्राम पोस्ट –कौह फतेहपुर
4. संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तरप्रदेश होगा , जिसे आवश्यकतानुसार बढाया जा सकता है।
5. संस्था के उददेश्या स्मृतिपत्र मे उल्लिखित उददेश्यो के अनुसर होगे।
4. संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग :

(अ) आजीवन सदस्य :–
संस्था को 10000.00(एक लाख रूपया), एक मुश्त अथवा इस मूल की अचल सम्पत्ति , दान स्वरूप प्रदान करने वालो को संस्था का आजीवन सदस्या बनाया जायेगा।

(ब) विशिष्ट सदस्य :–
समाज या सरकार द्वारा सम्मानित , विद्धान , समाज सेवक , जन प्रतिनिधि, , एंव विशिष्ट समाज सेवक , जन प्रतिनिधि , एंव विशिष्ट , नागरिक जो संस्था के विकास और कल्याण के लिए समर्पित हो , उन्हे संस्था का विशिष्ट सदस्य बनाया जायेगा। विशिष्ट सदस्यो को सदस्यता शुल्क नही देनी होगी।

(स) सामान्य सदस्य :–
संस्था को प्रतिवर्ष 11000.00(ग्यारह हजार रूपया),प्रवेश शुल्क तथा 1100.00रू0 वार्षिक सदस्यता शुल्क प्रदान करने वाले को संस्था का सामन्य सदस्य बनाया जा सकेगा।

सदस्यता की समाप्ति :–
किसी सदस्य की सदस्यता निम्नलिखित कारणो से स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
1. मृत्यु होने पर ।
2. पागल होने पर ।
3. दिवालिया होने पर ।
4. किसी न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर
5. संस्था के नियमो का पालन न करने पर।
6. लगातार तीन बैठको मे अनुपस्थित रहने पर।
7. त्यागपत्र स्वीकार होने पर।
8. अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर।
9. संस्था को हानि पहुँचाने पर।

निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स कानपुर मण्डल, कानपुर (उ0प्र0)

6. संस्था के अंग :– संस्था के निम्नलिखित दो अंग होगे :–

सत्य–प्रतिलिपि

अध्यक्ष / शुभम ग्रामोद्योग संस्थान

मो- आजम

मंत्री
शुभम ग्रामोद्योग संस्थान

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय सहायक निबन्धक फर्म्स,सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर मण्डल कानपुर

समाज में विज्ञान के लोकप्रियकरण व विज्ञान के प्रचार हेतु गोष्ठियों एव प्रर्दशिनियों का आयोजन करना तथा समाज के विज्ञान के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा वैज्ञानिक आविष्कार के उन्नयन हेतु सरकार द्वारा आयोजित योजनाओं व कार्यक्रमों का संचालन प्रबन्धन व अनुरक्षण करना।

10. समाज कल्याण विभाग , उ0प्र0 केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड , कपार्ट , सिप्सा , नावार्ड , आवार्ड , मानव संसाधन विकास मंत्रालय यूनिसेफ इत्यादि के सहयोग से महिलाओं एंव बालविकास कार्यक्रमों ग्रामीण विकास परियोजनाओं का प्रचार प्रसार एवं उनमें फेलोशिप प्राप्त करना।
11. महिलाओ एवं कामकाजी महिलाओ के लिए छात्रावास , निशुल्क विधिक सहायता ,पालनाघर व स्वरोजगार हेतु उपयोगी संस्थाओ की स्थापना शासन प्रशासन के सहयोग एवं सहायता से करना ।
12. वृद्वजनों के हितों के प्रति जागरूक रहना। उनके कल्याण हेतु वातावरण तैयार करना तथा परिवार से तिरस्कृत वृद्वजनों के लिये वृद्धाश्रम स्थापित कर उनके स्वस्थ मनोरंजन भोजन स्वास्थ्य सुरक्षा देख रेख आदि की समुचित व्यवस्था करना।
13. नशा मुक्त समाज का निर्माण करना इसके दुष्प्रचार के प्रभाव से जनमानस को जागृत करना।
14. समाज में व्याप्त छुआछूत मद्यपान दहेज प्रथा अन्धविश्वास निरक्षरता बाल विवाह भ्रूण परीक्षण आदि कुप्रथाओं को नष्ट करने हेतु जनमानस में चेतना जागृत करना।
15. कृषि विविधीकरण हेतु कृषकों को सामान्य फसलों के अतिरिक्त व्यवसायिक फसलों जैसे –वनोषधि ,औषधीय पादप तथा अन्य के प्रति जागरूक करना तथा इनके उत्पादन के लिये प्रयास करना।
16. शासन प्रशासन की सक्षम अनुंमति से सडको व नहरों व छोटी नहरों के किनारों वृक्षारोपण कराना।
17. अनुपयुक्त भूमि को कृषि योग्य बनवाना एवं उन्नतिशील पद्धति से खेती कराने के प्रशिक्षण एवं सेमिनार कराना आदि ऊसर सुधार योजनो के अन्तर्गत कार्य करना तथा इसके लिए शासन प्रशासन द्वारा चलायी जा रही योजनाओं व कार्यक्रमो को लेकर के क्रियान्वित करना व कराना ।
18. विकलांग ,अन्ध विद्यालय मानसिक रूप से मंदित बच्चो के लिए पुर्नवास प्रशिक्षण एवं जीवन यापन हेतु व्यवस्था करने के लिए शासन प्रशासन से योजनाए लेना व चलाना ।
19. विकलांगों को समाज में समुचित व सम्मानजनक स्थिति में लाने हेतु उन्हें स्वावलम्बी बनाना उन्हें साक्षर व तकनीसियन बनाने हेतु विकलांग आवासीय विद्यालय/ विकलागं छात्रावास आदि की व्यवस्था करके उनके शिक्षण प्रशिक्षण आवास भोजन चिकित्सा आदि की समुचित व्यवस्था करना।
20. मूक बधिर, दृष्टि बाधित , एंव मेन्टल रिटायर्ड विद्यालयों की स्थापना करना।
21. विकलांगों के लिये कृत्रिम अंगों व विकलांग उपकरणों का मुफत वितरण करना व कराना।
22. संस्था मुख्य रूप से समाज की सुख शान्ति एवं खुशहाली के वातावरण को तैयार करने हेतु पर्यावरण को सुरक्षित एवं सन्तुलित एवं सुरक्षित रखने की दशा में प्रयास करेगी इसके लिये समाज को सम्पूर्ण रूप से जागरूक बनायेगी तथा ऐसे समस्त योजनाओं व कार्यक्रमों को समय समय पर आयोजित करके स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना योगदान करेगी। पर्यायवरण सम्बन्धी शिविरों सम्मेलनों गोष्ठियों एवं सेमिनारों पदयात्राओं का आयोजन कराना तथा पर्यायवरण से सम्बन्धित सामग्रियों का पकाशन व मुफत वितरण की व्यवस्था करना।

अध्यक्ष

मंत्री

सत्य–प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक

6. संस्था के कार्यो के लिए 500000.00 रुपये (पांच लाख रुपये)तक एक बार मे व्यय करना। तथा उससे अधिक अध्यक्ष की अनुमति से व्यय करना।

5.कोषाध्यक्ष–

1. वार्षिक आय – व्यय का विवरण तैयार करना।
2. आय – व्यय सम्बन्धी अभिलेखो को लिपिबद्ध करना।
3. 500.00 रुपये तक संस्था के कार्यो के लिए अपने पास रखना।

10.नियमों एवं विनियमों में संशोधन :–

संस्था के नियमों व विनियमों मे संशोधन परिवर्द्धन व परिवर्तन प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक मे 2/3 के बहुमत के आधार पर सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अनुसार किया जायेगा।

11.संस्था का कोष–

1.संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैक मे संस्था के नाम से खाता खोल कर जमा किया जायेगा। तथा कोष आहरण संस्था के मंत्री के हस्ताक्षरो से किया जायेगा।

14.संस्था का लेखा परीक्षण

संस्था के सभी आय – व्यय का लेखा परीक्षण वर्ष की समाप्ति पर प्रति वर्ष किसी सक्षम आडिटर द्वारा कराया जायेगा।

15.अदालती कार्यवाही :–

संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध समस्त प्रकार के वाद कानपुर (नगर) के न्यायालय द्वारा निपटाये जायेगे। तथा समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही का संचालन संस्था के मंत्री द्वारा किया जायेगा।

16.संस्था का दायित्व :–

संस्था उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी आयोग , राष्ट्रीयकृत बैक , अथवा अन्य किसी वित्तीय संस्था से जो भी आर्थिक सहायता , ऋण अनुदान आदि के रूप मे प्राप्त करेगी। उसके विपक्ष मे ऋण दाता के पक्ष मे संस्था अपनी व अपने सदस्यो की अथवा अपने एक सदस्य की अचल सम्पत्ति का समर्थन बंधक कराएगी। प्राप्त ऋण की अदायगी का उत्तरदायित्व संस्था के प्रत्येक सदस्य का सामूहिक एंव व्यक्तिगत होगा । यदि कोई सदस्य संस्था से त्यागपत्र भी दे देता है तो उसकी ऋण की अदायगी की जिम्मदारी तब तक बनी रहेगी जब तक सम्पूर्ण ऋण की अदायगी नही हो जायेगी। और ऋण दाता संस्थान द्वारा देयता प्रमाणपत्र निर्गत नही कर दिया जायेगा।

सत्य–प्रतिलिपि

मंत्री
कुसुम ग्रामोद्योग संस्थान

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर मण्डल कानपुर

17. संस्था के अभिलेख

1.सदस्यता रजिस्टर 2.कार्यवाही रजिस्टर 3.एजेण्डा रजिस्टर 4.कैश बुक, 5.लेजर बुक, 6.वाउचर फाइल व अन्य प्रपत्र।

(58)

18. संस्था का विघटनः–

संस्था के विघटन व विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि

14/3/16

अध्यक्ष

ग्रामोद्योग संस्थान

मंत्री

ग्रामोद्योग संस्थान

मो. आजम

राजीव कुमार

निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स

कानपुर मण्डल, कानपुर (उ०प्र०)

सत्य–प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक

कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स

कानपुर मण्डल कानपुर

20/5/16

संशोधित स्मृति – पत्र

1. संस्था का नाम : शुमम ग्रामोद्योग संस्थान
2. संस्था का पता : एम0 आई0 जी0 4 , सेक्टर –3, बर्रा–2 कानपुर
3. कार्यशाला का पता : ग्राम पोस्ट –कौह फतेहपुर
4. संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तरप्रदेश होगा , जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।

संस्था के उददेश्य

1. संस्था का उददेश अध्यापक शिक्षा से सम्बन्धित समस्त प्रकार के विद्यालय , महाविद्यालय, एंव शिक्षण संस्थाओ की स्थापना एंव संचालन करना।
2. संस्था का उददेश्य जनता समाज के समुचित विकास कार्यक्षेत्र में विद्यालय की स्थापना करना जिसके लिए संस्था के द्वारा प्रारम्भिक स्तर से लेकर जूनियर हाई स्कूल हाई स्कूल इण्टरमीडिएट स्तर तक की कक्षाओ का संचालन प्रबन्ध करना तथा संचालित विद्यालय की उन्नति एवं विकास करके उसको उच्च स्तरीय बनाने का प्रयास करना ।
3. जनपदों प्रदेशों में भिन्न नामों से प्राइमरी, पूर्व प्राइमरी जूनियर हाईस्कूल हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज हिन्दी व अग्रेजी माध्यम से विद्यालय / कन्या व महिला इण्टरकालेज/ डिग्री कालेज को खोलना व चलाना। आवासीय विद्यालय विकलांग विद्यालय खोलना व चलाना।
4. शासन प्रशासन की सक्षम अनुमति से कार्य क्षेत्र के अर्न्तगत स्टेडियम इन्जीनियरिंग कालेज, मेडीकल कालेज, पैरा मेडीकल कालेज ,पालीटैक्नीक ,आई0टी0आई0, बी0टी0सी0, लॉ कालेज आदि के लिए अल्पसंख्यक विभाग से मान्यता लेना तथा इस हेतु व्यवसायिक पाठयकम के प्रशिक्षण हेतु संस्थाओ की स्थापना करना व उनका संचालन करना।
5. उ0प्र0 सरकार की घोषित नीति एवं योजना कार्यक्षेत्र की महिलाओं व सर्वागीण विकास हेतु महिला इण्टर कालेज व महिला डिग्री कालेज व महिलाओ के लिए प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा से सम्बन्धित संस्थाओ को खोलना व उन्हे चलाना।
6. यह संस्था सामाजिक जागृति उत्पन्न करके समाज का सर्वागीण विकास करके सर्व समाज के उन्नति एंव विकास के लिये कार्य करेगी । तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारो को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करेगी।
7. केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार की सरकारी संस्थाओं / विभागों से शहर व ग्रमीण क्षेत्र में जनहित का कार्य कराने में सहयोग करना। इस हेतु सासंद निधि विधायक निधियों से ग्रमीण व अविकिसित क्षेत्र में विकास एवं सहयोग लेना।
8. वृद्व , विकलांग , मानसिक रूप से कमजोर , विधवा , पतिता, परित्यक्तता, समाज शोषित, निराश्रित ,कुष्ठ रोगियों , अनाथ मुक्त हुये बाल श्रमिकों , देह व्यापार से मुक्त हुयी महिलाओं एवं उनके बच्चों झुग्गी झोपडी में निवास करने वाले संसाधन विहीन परिवारों एवं भिक्षुओं के उत्थान पुर्नस्थापन एवं समग्र विकास हेतु कार्ययोजनाओं का संचालन प्रबन्धन एवं अनुरक्षण करना। उनके लिये शिक्षा के अवसरों का सृजन करना। विद्यालयों को खोलना तथा ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करना जिसके माध्यम से उन्हें रोजगार के अवसर मिल सके।

अध्यक्ष
शुभम् ग्रामोद्योग संस्थान

मो. आजम

राजीव कुमार

मंत्री
शुभम ग्रामोद्योग संस्थान

सत्य–प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसायटीज तथा चिट्स
कानपुर मण्डल कानपुर

विस्थापित एवं बेघर , अनाथ, व आवारा (स्ट्रीट चिल्ड्रन्स) को जन साधारण को प्राप्त होने वाली शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा ,स्वास्थ्य सेवाओ जैसे ससाधन उपलब्ध कराने की दिशा मे प्रयास करना इसके लिए उन्हे शिक्षा एवं तकनीकी प्रशिक्षण देकर समाज मे प्रतिस्थापित करने के सभी कार्य करना ।उन्हे शिक्षा , स्वास्थ्य एवं विकास के सभी अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करना ताकि उन्हे राष्ट्र की विकास की मुख्य धारा से जोडा जा सके ।वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोतो, ,पैट्रोलियम बचत,सडक सुरक्षा उपभोक्ता संरक्षण बन्धुआ मजदूर उन्मूलन ,दहेज उन्मूलन ,मद्यनिषेध ,महिलाओ के समानता का अधिकार ,पंचायती राज , रेलवे बोर्ड/रेल मंत्रालय ,कृषि मंत्रालय , खेलकूद मंत्रालय , युवा कल्याण मंत्रालय , सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय , महिला एवं बाल विकास विभाग सहित भारत सरकार की विभिन्न विभागो की योजनाओ को संचालित करना। जागरूकता कार्यकमो का प्रचार प्रसार करना।

37. समाज कल्याण विभाग,मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पर्यावरण विभाग, ग्राम्य विकास अभिकरण ,नगरीय विकास अभिकरण सुडा/डुडा सेल, कपार्ट ,नाबार्ड, यूनिसेफ, सिप्सा ,सिडवी,नोरड ,अवार्ड ,महिला मल्याण निगम बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग ,खाद्यप्रसंस्करण विभाग ,ऊसर बंजर भूमि विकास निगम,कृषि विभाग ,श्रम विभागो अनुभागो समस्त प्रकार के कार्यकमो एंव योजनाओ का प्रचार प्रसार करना।

38. अनाथालय,व्यायामशाला,ओल्ड ऐज होम का प्रचार प्रसार करना, राष्ट्रीय मेला, प्रदर्शिनी सेमिनार/कार्यशाला ,प्रशिक्षण कार्यकम,,सांस्कृतिक ग्रंथ एंव पत्रिकाओ का निःशुल्क प्रकाशन ।विशिष्ट व्यक्तियो के लिए पुरुष्कार एंव उनको सम्मानित करने की व्यवस्था करना।

39. जल संरक्षण, भूमिगत जल स्त्रोतो की खोज व उनका संरक्षण करना , पेयजल की उपलब्धता हेतु कार्य करना ।ग्रामीण विकास हेतु नलकूप,सिंचाई के साधन और उन्नत बीज,कीटनाशक दवाओं के सम्बन्ध मे किसानो को जागरूक बनाना ।लिंक मार्ग प्रकाश व अन्य जनसमस्याओ का निराकरण एंव नागरिक सुविधाओ की उपलब्धता हेतु कार्य करना ।

40. सौर ऊर्जा,गोबर गैस ,पन विद्युत आदि संयंत्रों की स्थापना करना ।,शहरी कस्बाई एंव ग्रामीण अंचलो मे सुलभ शौचालयो की स्थापना व संचालन करना।

41. सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यकम (डी0पी0ए0पी0) , जलागम के अन्तगत एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यकम (आई0डब्लू0डी0पी0) , सुनिश्चित रोजगार योजना (एस0आर0वी0) , उ0प्र0कृषि विविधीकरण परियोजना के अन्तर्गत कृषि के विभिन्न धरको के विकास हेतु , औद्योगिक विकास की योजनाओ का आयोजन व कियान्वयन राज्य सरकार व केन्द्र सरकार एवं उनके विभागो अनुभागो के सहयोग से करना ।

42. उददेश्यो की पूर्ति हेतु राज्य सरकार , केन्द्रीय सरकार , तथा उनके विभागो और अनुभागो से तथा वित्तीय संस्थाओ व संस्थानों , दानदाताओं , व्यापारिक प्रतिष्ठानों , स्थानीय निकायों , राज्य समाज कल्याण विभाग , केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड , मानव संसाधन विकास मंत्रालय , उत्तरप्रदेश महिला कल्याण निगम , खादी ग्रामोद्योग बोर्ड , /आयोग आदि से उनकी योजनाओ व कार्यकमो को लेना व उनसे योजना व कार्यकम चलाने की अनुमति प्राप्त करते हुए दान अनुदान, ऋण आदि प्राप्त करके उददेश्यो की पूर्ति मे व्यय करना।

43. निर्धन तथा अनाथ लोगो व पिछडे क्षेत्रो के विकास हेतु केन्दीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागो ,मंत्रालयो जैसे – स्वास्थ्य , परिवार कल्याण मंत्रालय , यूनीसेफ हडको , महिला एवं बाल विकास विभाग , कपार्ट , काई , सिप्सा , नाबार्ड, अवार्ड , नौराड , डूडा , सूडा, सिडवी , राष्ट्रीय

सत्य–प्रतिलिपि

मो. आजम

अध्यक्ष/मंत्री

कुसुम ग्रामोद्योग संस्थान

वरिष्ठ सहायक

कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स,सोसाइटीज तथा चिट्स

कानपुर मण्डल कानपुर

महिला कोष , बाल विकास पुष्टाहार , महिला कल्याण , एवं बाल कल्याण निधि , महिला कल्याण निगम , राष्ट्रीय बाल भवन, वस्त्र , शिल्प हस्त मंत्रालय , पर्यावरण मंत्रालय , मत्स्य विभाग , समाज कल्याण बोर्ड , केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय , श्रम मंत्रालय , सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय , राजीव गाँधी फाउण्डेशन , विश्व स्वास्थ्य संगठन , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के वित्तीय सहयोग से चलायी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओ व कार्यक्रमो को चलाकर नागरिको का सर्वांगीण विकास करना

संस्था संविधान के अनुच्छेद 29, 30 के अनुपालन मे अल्पसंख्यक वर्ग के हितो का संरक्षण करना एंव शैक्षणिक संस्थाओ की स्थापना एंव संचालन करना।

45. देश प्रदेश की जनता मे सामाजिक , नैतिक , आर्थिक , सांस्कृतिक और बौद्धिक उन्नैति के लिय चेतना का विकास करना, जिससे जन–जीवन सुख– समृद्धि से परिपूर्ण हो सके।

46. ग्रामीण जनता की उन्नति हेतु जन– कल्याणकारी कार्यक्रमो को अपनाकर उन्हे संचालित करना।

47. क्षेत्र के किसानो , श्रमिको , कारीगरो , महिलावो और बेरोजगार युवको का लाभदायक रोजगार देकर उन्हे आर्थिक दृष्टि से आत्म निर्भर बनाना।

48. ग्रामीण निर्धनो तथा आर्थिक दृष्टि से पिछले लोगो की जीविका और आवासीय समस्याओ के सामाधान के लिए कार्य करना।

49. उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड , खादी आयोग , कुटीर एंव ग्रामोद्योग निदेशालय राज्य सरकार एंव केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित योजनाओं , उद्योगो का प्रशिक्षण देना तथा उत्पादन और बिकी के कार्यो मे लोगो को लगाना तथा योजनाओं और उद्योगो का प्रचार प्रसार करना तथा अर्जित आय को चेरिटेबिल कार्यो मे व्यय करना।

50. ग्रामीण जनता के कल्याणार्थ शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि कार्यक्रमो की व्यवस्था करना।

51. ग्रामीण उद्योगो जैसे खाद्य पद्यार्थ , प्रसंस्करण , मिट्टी का काम, ईट, भट्टा, फल प्रशोधन , धनधारित एंव कृषि आधारित उद्योगो के विकासार्थ भूमि भवन , मशीनरी, पूजी, बाजार प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करके उद्योगो की स्थापना व संचालित करके ग्रामीण समुदाय को लाभदायक रोजगार देना।

52. उद्देश्यो की पूर्ति हेतु राज्य एंव केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागो , उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड , खादी ग्रामोद्योग आयोग , राष्ट्रीयकृत बैको , अर्द्ध सरकारी विभागो , वित्तीय संस्थाओ , एंव नागरिको से आर्थिक सहायता (ऋण – अनुदान) , चन्दा , दान, अमानते , चल व अचल सम्पत्ति प्राप्त करना।

अध्यक्ष
शुभम् ग्रामोद्योग संस्थान

मंत्री
शुभम ग्रामोद्योग संस्थान

मो. आजम

सत्य–प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर मण्डल कानपुर

पर्यायवरण सम्बन्धी जानकारी जनमानस को देना तथा पर्यायवरण सुरक्षा संरक्षण के उपायों को बताने में मदद करना। तथा ऐसे कार्यक्रम कार्ययोजनाओं को क्रियान्वित करना व कराना जिनसे पर्यायवरण सुरक्षा, संवर्द्धन हो सके।

24. संस्था अपने कार्य क्षेत्र के नागरिको को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी।

25. संस्था अपने कार्य क्षेत्र के अर्न्तगत गरीब परिवार को निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण रोगो की पहचान तथा उनके उपचार के बारे मे आवश्यक जानकारी जन साधारण को देगी।

26. संस्था के द्वारा देश प्रदेश के अर्न्तगत गरीबो की मदद के लिए निशुल्क स्वास्थ्य शिविरो का आयोजन करेगी ।

27. मातृ एवं शिशु कल्याण के लिए योजनाओ व कार्यक्रमो को चलाना।

28. बच्चो को संक्रामक रोगो की रोकथाम हेतु शासन प्रशासन की सक्षम अनुमति के उपरान्त उनका टीकाकरण कराना।

29. परिवार कल्याण की योजनाओ परिवार नियोजन कार्यक्रमो का आयोजन करके समाज से जनसंख्या के बढते हुए घनत्व को नियत्रित करने के उपायो को करना इस हेतु शासन प्रशासन की परिवार कल्याण नीति एवं योजनाओ की जानकारी समाज के सभी वर्गो को उपलब्ध कराकर अपनाने के लिए प्रेरित्त करना।

30. ग्रामीण एवं पिछडे हुए इलाको तथा मलिन बस्तियो के सुधार व शिक्षा स्वास्थ्य एवं विकास की योजनाओ को पहुचाने का प्रयास करना।

31. सस्था दूरस्थ ग्रामीण व पिछडे हुए क्षेत्रो के लिए मोबाइल चिकित्सा की व्यवस्था करेगी इसके लिए गांव व शहर मे समुचित दवाइयो एवं सुयोग्य चिकित्सकों को भेजने की व्यवस्था करना।

32. गरीबो के इलाज की निशुल्क व्यवस्था करना उन्हे भोजन देना व रहने का स्थान उपलब्ध कराना।पिछडे एवं गरीबी से ग्रस्त सुदूर स्थलो पर जहाँ इलाज के समुचित संसाधन नही है निशुल्क स्वास्थ्य शिविरो नेत्र चिकित्सा शिविरो का आयोजन करना तथा गरीबो के स्वास्थ्य की जांच तथा रोगो के पहचान तथा निशुल्क दवा आदि का वितरण करना।

33. शासन प्रशासन की सक्षम अनुमति से शहर देहात तथा जहाँ पर बीमारीयो का प्रकोप बढ गया हो वहाँ चिकित्सको का दल भेजकर पीडित जनता की मदद करना।

34. समाज को स्वस्थ्य बनाने के लिए कार्यक्रमों को आयोजित करना ।समाज के सभी वर्गो को निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओ को उपलब्ध कराना इसके लिए धर्मार्थ चिकित्सालय , निशुल्क टीकाकरण तथा एड्स ,कैंसर,दमा, यक्ष्मा , हेपेटाईटिस जैसे गम्भीर रोगो की रोकथाम मे उनके निःशुल्क इलाज की व्यवस्था करना।इस हेतु धमार्थ चिकित्सालयो की स्थापना करना।चल चिकित्सा का संचालन करना।समाज को स्वस्थ एंव निरोग बनाने के लिए समय समय पर स्वास्थ्य शिविरो , नेत्र व रक्त शिविरो का आयोजन करना,गरीब बेसहारा ,विकलाग विधवाओ के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करना

35. समाज मे जागरूकता लाना इसके लिए सामाजिक , आर्थिक, विषयो पर आधारित शिविरो सम्मेलनो , गोष्ठियो , सेमिनारो , का आयोजन करके प्रिण्ट मीडिया , इलैक्ट्रानिक मीडिया ,एवं संचार के अन्य माध्यमो के माध्यम से जन साधारण को संस्था से जोडने का प्रयास करना ।तथा संस्था के उददेश्यो एव कार्यक्रमो को उन तक पहुचाने का प्रयास करना ।

सत्य-प्रतिलिपि

मो. आजम

मंत्री

ग्रामोद्योग संस्थान

वरिष्ठ सहायक

कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स

कानपुर मण्डल कानपुर

स.सूचना अवधि –
प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठको को सात दिन व विशेष बैठाके को 24 घंटे पूर्व की सूचना देकर बुलाया जा सकता है।

द.गणपूर्ति –
प्रवन्धसमिति की सभी प्रकार की बैठको के लिए कुल सदस्य संख्या की 2/3 की उपस्थिति गणपूर्ति के लिए आवश्यक होगी , किन्तु कोरम के आभाव मे स्थगित बैठक को पुनः आहुत करने के लिए कोरम का बन्धन नही होगा। किन्तु एजेन्डा के विषय पूर्ववत ही रहेगें।

य.रिक्त स्थानों की पूर्ति –
प्रबन्धकारिणी समिति के रिक्त स्थानो की पूर्ति अध्यक्ष एंव मंत्री के सलाह पर शेष कार्यकाल के लिए की जायेगी।

र. कार्यकाल
प्रबन्धसमिति का कार्यकाल 5 (पॉच) वर्षो के लिए होगा।

ल.प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य –
1.समिति द्वारा संचालित विद्यालयो तथा शैक्षिक संस्थाओ को अल्पसंख्यक प्रारूप मे मान्यता लेने हेतु शासन प्रशासन मे प्रयास करना तथा उन्हे शासन प्रशासन के अल्पसंख्यक नियमो के अनुसार संचालन व प्रबन्धन की समुचित व्यवस्था करते हुए संस्था का प्रबन्ध कार्य करना।
2.वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रकाशित करना।
3.वार्षिक कार्यक्रम की रूप रेखा तैयार करके लागू करना।
4.संस्था की चल अचल सम्पत्ति का रख रखाव , सुरक्षा व नियंत्रण रखना।
5.उपसमितियॉ बनाना।
6.नियमो – उपनियमो मे संशोधन , परिवर्धन व परिवर्तन करना।
7.पदाधिकारियो को नियुक्त करना ।
8.संस्था के विवादो को सुलझाना।
9.समिति के उददेश्यों की पूर्ति के लिए प्रस्ताव पारित करके विभिन्न विभागों से योजनाए व कार्यक्रम लेने का निर्णय लेना तथा कार्यक्रम प्राप्त होने पर उनका संचालन प्रबन्ध व व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होना ।समिति के लिए चल अचल सम्पत्ति भूमि, भवन आदि को प्राप्त करना उसकी सुरक्षा व्यवस्था व समृद्धि करना।
संचालित शिक्षण व प्रशिक्षण केन्द्रो के लिए सभी प्रकार के प्रबन्ध व्यवस्था करने व उनके लिए आवश्यकतानुसार सभी प्रकार के निर्णय लेने का अधिकार प्रबन्धकारिणी समिति को होगा। प्रबन्ध समिति यदि किसी मेम्बर या पदाधिकारी के कार्यो से सन्तुष्ठ नही है तो अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसको पद एवं सदस्यता समाप्त करने की संस्तुति साधारण सभा सदस्यो से करेगी । साधारण सभा अपना निर्णय देते हुए अपने बहुमत से अनुमोदन लेकर उसको निष्कासित व निलम्बित या पदच्युत कर सकेगा ।

अध्यक्ष
कुसुम ग्रामोद्योग संस्थान
मंत्री
कुसुम ग्रामोद्योग संस्थान

सत्य–प्रतिलिपि
वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स,सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर मण्डल कानपुर

उपनिबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स कानपुर मण्डल, कानपुर (उ०प्र०)

संस्था के उददेश्यो की पूर्ति के लिए धन संग्रह करना, चल अचल सम्पत्तियो को जुटाना। क्षेत्रीय उपसमितियो पर नियंत्रण रखना तथा उन्हे भंग करना व उनका पुर्नगठन के निर्णय लेना केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति का अधिकार क्षेत्र मे होगा। क्षेत्रीय कार्यसमिति के कार्यो की समीक्षा करना। संस्था के विकास हेतु प्रयास करना।

9.प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारीयों का अधिकार व कर्तव्य :-

1.अध्यक्ष–

1. संस्था के सभी प्रकार की बैठको की अध्यक्षता करना।
2. बैठको मे प्रस्ताव आदि रखने की अनुमति देना।
3. संस्था के कार्यालय एंव कार्यो का निरीक्षण करना।
4. किसी विषय पर बैठक मे समान मत होने पर निर्णायक मत का प्रयोग करना।
5. बैठको की तिथियो, समय आदि का अनुमोदन करना।
6. संस्था के विकास मे योगदान करना।

2.उपाध्यक्ष :–

अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे उनके द्वारा सौंपे गये कार्यो को करना तथा सामान्य स्थिति मे उनका सहयोग करना।

3.मंत्री :–

1. संस्था के सभी प्रकार की बैठको को संचालित करना।
2. बैठको की कार्यवाही लिपिवद्ध करना।
3. वार्षिक – कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करके अनुमोदन प्राप्त करना।
4. वार्षिक आय – व्यय पारित करना।
5. संस्था की ओर से सभी पत्र पर हस्ताक्षर करना।
6. समस्त बिलो व वाउचरो पर हस्ताक्षर करना।
7. संस्था की ओर से समस्त कानूनी कार्यवाही का संचालन करना।
8. संस्था के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप मे कार्य करना।
9. सरकारी, अद्धसरकारी विभागो मे सम्पर्क व पत्र व्यवहार करना तथा आवश्यक प्रपत्रो और दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करना।
10. उददेश्यो की पूर्ति हेतु ऋण, अनुदान, चन्दा, दान, अमानते आदि प्राप्त करना।
11. कर्मचारियो की नियुक्ति, निलम्बन, पदोन्नति, वेतन – वृद्धि पुरस्कार स्वीकार करना व देना। तथा उन्हे दण्डित करना व पदच्युत करना।
12. संस्था की चल अचल सम्पत्ति, अभिलेखो का नियंत्रण रखना व उन्हे सुरक्षित रखना।
13. बैंक से धन आहरण करना व खाते मे जमा करना।
14. उ0 प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी आयोग, राष्ट्रीयकृत बैको एंव अन्य सरकारी विभागो से आर्थिक सहायता प्राप्त करना तथा उसके लिए समुचित आवश्यक कार्यवाही करना।

निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स कानपुर मण्डल, कानपुर (उ०प्र०)

अध्यक्ष / कुसुम ग्रामोद्योग संस्थान

मंत्री / कुसुम ग्रामोद्योग संस्थान

मो. आजम सत्य–प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर मण्डल कानपुर

अ.साधारण सभा
ब.प्रबन्धकारिणी समिति

7.साधारण सभा :–

अ.गठन :–

संस्था के सभी प्रकार के सदस्यो को मिला कर साधारण सभा का गठन किया जायेगा।

ब.बैठके :–

साधारण सभा की सामान्य बैठको को 15 दिन पूर्व व विशेष बैठको को तीन दिन पूर्व सूचना देकर बुलाया जा सकता है।

स. गणपूर्ति :–

साधारण सभा की सभी प्रकार की बैठको के लिए कुल सदस्य संख्या की 2/3 की उपस्थिति गणपूर्ति के लिए आवश्यक होगी। किन्तु कोरम मे स्थगित बैठको को पुनः आहुत करेन पर कोरम का बंधन नही होगा। किन्तु एजेन्डा के विषय पूर्वत ही रहेगे ।

द. विशेष वार्षिक अधिवेशन

साधारण सभा की विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष की समाप्ति पर किया जायेगा। जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा निश्चित की जायेगी।

स.साधारण सभा के कर्तव्य –

1 पॉच वर्षो के लिए प्रबन्धसमिति का चुनाव करना।

2.वार्षिक आय – व्यय बजट को पारित करना।

3.प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा पारित की गयी वार्षिक रिपोर्ट को स्वीकार करना।

10.प्रबन्धकारिणी समिति –

अ. गठन –

प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था के सभी प्रकार के सदस्यो को मिलाकर साधारण सभा की बैठक मे चुनाव द्वारा बहुमत से किया जायेगा। कुल 11 व्यक्तियो की प्रबन्धसमिति निम्न प्रकार होगी।

1.अध्यक्ष –एक 2. उपाध्यक्ष '–एक 3.मंत्री – एक 4. कोषाध्यक्ष – एक 5.सदस्य – सात

समिति का निर्वाचित मंत्री ही समिति द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओ व आयोजित कार्यक्रमो का प्रबन्धक होगा ।

ब.बैठकें

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठके वर्ष मे तीन होगी, किन्तु विशेष बैठको को आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाया जा सकता है। सभी प्रकार की बैठके मंत्री द्वारा बुलायी जा सकेगी।

सत्य–प्रतिलिपि

अध्यक्ष
शुभम् ग्रामोद्योग संस्थान

मंत्री
शुभम् ग्रामोद्योग संस्थान

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स,सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर मण्डल, कानपुर